कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली।

संख्या /जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली दिनांक /2010

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक
नवभारत टाइम्स,
दिल्ली।

विषयः– ***इंडिया गेट से पकड़े गए तीन फिदायीन*** " शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम पृष्ठ पर छपी खबर के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया आज दिनांक 4 जून, 2010 को आपके समाचार पत्र के प्रथम पृष्ट पर प्रमुखता के साथ उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत संवाददाता के नाम से छपी खबर का अवलोकन करें। प्रकाशित खबर का शीर्षक तथा तथ्य पूर्णतया आधारहीन एवं काल्पनिक है।

प्रकाशित खबर में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिट्रिक्ट जिला के स्पेशल स्टाफ ने इल्क्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से इंडिया गेट पर हमले की नीयत से आए तीन कश्मीरी फिदायीन आंलकवादियों को गिरफतार कर उनके कब्जे से विस्फोटक बरामद किया है। गिरफ्तार आंतकवादियों को पूछताछ के लिए स्पेशल के हवाले कर दिया गया है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गुरूवार शाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने इंडिया गेट के आसपास से किसी फिदायीन आंतकवादी को गिरफतार नहीं किया है। बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपके वरिष्ठ संवाददाता ने ऐसे संवेदनशील विषय पर बिना किसी वरिष्ठ या अधिकृत पुलिस अधिकारी से तथ्यों की पुष्टि किये खबर का प्रकाशित किया जाना सर्वथा अनुचित है। ऐसी सनसनीखेज खबर से न केवल दिल्ली के नागरिकों के मन में अनावश्यक भय की स्थिति उत्पन्न होती है बल्कि सुरक्षा ऐजेंसियों पर भी अनावश्यक भार बढ़ जाता है।

देश की राजधानी, दिल्ली में ऐसी अतिसंवेदनशील खबर के प्रकाशित होने से देश में ही नही अपितु विदेशों में, विशेषकर आगामी राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिकूल असर पड़ता है। इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने संवाददाता को आगाह करें कि भविष्य में ऐसे संवेदनशील विषय पर खबर प्रकाशित करने से पूर्व उसके तथ्यों की पुष्टि अधिकृत पुलिस अधिकारी से अवश्य कर लें। अतः आपसे अनुरोध है कि खबर से संबंधित सही तथ्यों को उचित स्थान पर प्रकाशित कर अपने पाठकगणों को अवगत करा कर अनुगृहित करें।

धन्यवाद!

(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस, दिल्ली।